तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मेहराज खाँ नायक चाँद कॉलोनी, सादड़ी जिला–पाली पिन–306702 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी प्रथम सूचना अपील संख्या :– 54/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/196 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

4/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 16.4.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी ने जरिये पत्रांक/सूचना अधिकार/2022/110 दिनांक 18.02.2022 व पत्रांक/सूचना अधिकार/2022/114 दिनांक 25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक/सूचना अधिकार/2021/1340 दिनांक 17.05.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रबन्ध नागरिक आपूर्ति राराखानाआनि, पाली से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने बाबत अन्तरित की गई थी। इस पर बिन्दु संख्या 2 की सूचना राराखानाआनि, पाली द्वारा जरिये पत्रांक/जि.प्र.पा./आरटीआई/2021–22/928 दिनांक 24.02.2022 के उपलब्ध करवाने पर अपीलार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक 114 दिनांक 25.02.2022 के मूल पत्र के संलग्न कर उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(समित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली